

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

कानसिंह पुत्र करणीसिंह वगै बनाम

अप्रार्थीगण

करणी सिंह पुत्र रावत सिंह वगै

मुकदमा नं. 63/2017 T I

किरम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुये।

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
19.05.2017	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शिवकुमार पारासर ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथ पत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सुतलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि आगामी आदेश तक मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नं 207 रकबा 37.10 बीघा , ख नं 266 रकबा 88.04 बीघा , ख नं 265 रकबा 09.05 बीघा भूमि का बेचान/बकसीस/रहन व अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं करे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखल नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 04 व 05 विवादित खेताय के दस्तावेज का पंजीयन न करे व उपरोक्त खसरान् की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरो को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p>	



*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
मुकाम जायल (नागौर)

17.7.17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार/अधिकार  
पक्षावली के अन्तर्गत प्रेश होने पर प्रमाण

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में प्रमाण  
अवकाश पर गये हुए है, इसलिये प्रकरण  
उनके समक्ष दिनांक 2-8-17 को  
प्रस्तुत करें।



2-8-17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में प्रमाण  
अवकाश पर गये हुए है, इसलिये प्रकरण  
उनके समक्ष दिनांक 1.7.17 को  
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 17.11.17  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/2/18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 9.2.18  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 07.6.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 16.7.18  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 07.11.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 7.9.18  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.12.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 26.12.18  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.4.19 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 26.4.19  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9.8.19 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
 9.8.19  
 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15.11.19 को प्रस्तुत करें।

फर्द अहकाम (नियम-26)  
 अज्ञ अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

रकम प्रकरण :	बनाम	मुकदमा नं. :	नम्बर व करिव अधकाम जो इस हुकम को समर्थन में जारी हुवे
8/20	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23/3/18 को प्रस्तुत करें।		
27/20	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/1/20 को प्रस्तुत करें।		
24/20	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रथम अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/1/20 को प्रस्तुत करें।		
4/20	वकील साहनी उपपक्षकारीगण की माली हेतु एउ प्रवक्त-वाहा जो न्यायहित में स्थानमा में प्रिमल दिनेरु: 3/9/20 के फरका हो।		
3/20	वकील साहनी एउ गल नार्दरु की पक्ष हेतु एउ प्रवक्त-वाहा जो न्यायहित में प्रथम अवकाश पर गये है न्यायहित में प्रथम अवकाश रिमा पासा हो। प्रिमल दिनेरु: 13/1/20 के फरका हो।		

तारीख दृश्य	दुकान या कार्यवाही इतिवृत्त का नाम
13/1/21	<p>वकील वकील उपा. जगदीश/जगदीश से पत्र सम्बन्ध तारीख 13/1/21 को भेजा है। उपा. जगदीश उपा. से। उपा. जगदीश से पत्र वकील वकील उपा. जगदीश से पत्र को</p> <p>26/1/20</p> <p>न्यायाधीश/पदाधिकारी की तिथि में/प्रत्यक्ष संबंधित पर नये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नये संबंध दिनांक 21/01/21</p> <p>न्यायाधीश/पदाधिकारी की तिथि में/प्रत्यक्ष संबंधित पर नये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नये संबंध दिनांक 21/01/21</p>
31/1/21	<p>वकुलाम उपा. जगदीश से। से उपा. जगदीश से पत्र भेजा है। उपा. जगदीश से पत्र को</p>
26/3/21	<p>वकुलाम उपा. जगदीश की पालना में मिल दिनांक : 29/04/21 को पेश है।</p> <p>न्यायाधीश/पदाधिकारी की तिथि में/प्रत्यक्ष संबंधित पर नये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नये संबंध दिनांक 03/05/21</p>

फर्द अहमकाम  
(विषय-26)

अज्ञ अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (जागीर)

नया नाम

मुकदमा नं. : /

तारीख दृश्य	दुकान या कार्यवाही इतिवृत्त का नाम	नया नाम
27/1/21	<p>न्यायाधीश/पदाधिकारी की तिथि में/प्रत्यक्ष संबंधित पर नये हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नये संबंध दिनांक 27/01/21</p> <p>27/1/21: वकुलाम उपा. जगदीश की पालना में मिलना-जुड़ना है। उपा. जगदीश से पत्र को मिलना-जुड़ना है। उपा. जगदीश से पत्र को</p>	
01/01/21	<p>वकुलाम उपा. जगदीश की पालना में मिलना-जुड़ना है। उपा. जगदीश से पत्र को</p>	
03/01/21	<p>वकुलाम उपा. जगदीश की पालना में मिलना-जुड़ना है। उपा. जगदीश से पत्र को</p>	
28/01/21	<p>वकील वकील उपा. जगदीश/जगदीश से पत्र सम्बन्ध तारीख 28/01/21 को भेजा है। उपा. जगदीश उपा. से। उपा. जगदीश से पत्र वकील वकील उपा. जगदीश से पत्र को</p>	

तारीख हुपक	हुपक या कार्यवाही इतिवृत्त जज
	<p style="text-align: right;">3/11/22</p> <p>उक्त दिनांक के अधीनस्थ हुपक प्रकरण में          कानून के अनुसार हुपक प्रकरण में          हुपक प्रकरण में हुपक प्रकरण में हुपक प्रकरण में          हुपक प्रकरण में हुपक प्रकरण में हुपक प्रकरण में हुपक प्रकरण में</p>
<u>21/6/22</u>	<p><b>अभार/बकाया क मामला</b></p> <p>रोटेशन कार्यवाही के दिनांक/प्रकाश          प्रकाश पर 22/6/22 के दिनांक प्रकाश          नके समस्त दिनांक 22/6/22 के दिनांक प्रकाश          प्रकाश प्रकाश</p>
<u>22/8/22</u>	<p>पत्रावली प्रदत्त। बकलि अप्रार्थी अनुपस्थित।          आवान लगाई गई। बाद आवान बकलि          प्रार्थी हाजिर नहीं। साथे तथा ना ही प्रार्थी स्वयं          हाजिर साथे ही अंतः प्रार्थना पत्र अदम          हाजरी रुब अदम पैरवी में खातिज किया          जाता है। मिसल निर्गम नम्बर से रुक          होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दारखिल दफतर है।</p>